कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार दुसरी मंजिल लघु सचिवालय हिसार।

1— यह कार्यालय उपमण्डल स्तर का कार्य करता है।

उदेद्वश्य

कार्यालय का मुख्यउदेद्वश्य सहकारिता के सिंदान्तों के प्रति जनता को जागरूक करना, सहकारी समितियों के सदस्यों को अपने समाजिक दायित्व के प्रति सजग करना है।

सहायक रजिस्ट्रार द्वारा हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के अर्न्तगत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा पंचकुला की प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुये भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी समितियां पंजीकृत की जाती है। पंजीकृत समितियों का विभाग द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है तथा समय समय पर समितियों में विजिट किया जाता है। किसी समिति सदस्य की यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करके निपटारा किया जाता है। सहकारी समितियां सदस्यों की सदस्यों के द्वारा सदस्यों के लिये संस्थाये होती है और मुख्यतः सहकारी समितियों का उदेद्वश अपने सदस्यों का आर्थिक विकास तथा उनके जीवन स्तर का उत्थान करना होता है।

2— सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा पंजीकृत सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां, सरकारी विभागों, बोर्ड निगम व अन्य सस्थाओं से निर्माण आदि के कार्य टैन्डर पर लेकर अपने बेरोजगार सदस्यों को रोजगार उपलब्ध करवाती है। सहायक रजिस्ट्रार हिसार द्वारा पिछले तीन वर्षो में 125 सहकारी श्रम व निर्माण समितियां पजीकृत की गई है।

सहकारी समिति बनाने की प्रकिया इस प्रकार है

1— सर्वप्रथम सहकारी समिति गठित करवाने के इच्छुक सदस्यों द्वारा सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र सहायक रजिस्ट्रार /निरीक्षक सहकारी समितियां के कार्यालय मे देना होता है।

2— प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विभाग के सम्बन्धित हल्का निरीक्षक/उप निरीक्षक सदस्यों से सर्म्पक करके समिति के गठन हेतू दस्तावेज तैयार करवाता है। समिति गठित करने के दस्तावेंजो में अग्रग्रेषण फार्म, समिति के उप नियमों की तीन प्रतियां, सभी सदस्यों के अलग अलग शपथ पत्र सदस्यों के निवास स्थान का प्रमाण जैसे कि राशन कार्ड/ वोटर कार्ड आदि, कार्यवाही पुस्तक रजिस्ट्र सभासद, कैश बुक व जनरल लैजर आदि की आवश्कता होती है।

3— प्रस्तावित समिति के दस्तावेज तैयार होने उपरान्त निरीक्षक उन दस्तावेजों /फाईल को समिति के पंजीकरण हेतू सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार के कार्यालय में भेजता है। प्रस्तावित समिति के दस्तावेज/ फाईल सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त होने पर दस्तावेजों का अवलोकन करके (यदि दस्तावेज नियमानुसार है तो)सहायक रजिस्ट्रार समिति को पंजीकृत करता है तथा समिति अपने उप नियमों के अर्न्तगत कार्य प्रारम्भ कर देती है।

सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित योग्यताए आवश्यक है।

1— आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये तथा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए।
2— समिति के कार्यक्षैत्र का निवासी हो।
3— अच्छे चरित्र का हो।
4— ऐसे कार्य या सेवायें न कर रहा हो जो समिति अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती है।

वर्तमान मे हिसार उपमण्डल में 956 सहकारी समितियां कार्यरत है। जो निम्न प्रकार से है:–

1–	जिला केन्द्रीय सहकारी बैक लि0 हिसार	01
2–	जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैक लि0	01
3–	केन्द्रीय सहकारी उपभोकता भण्डार	01
4–	जिला सहकारी श्रम व निर्माण प्रसघं	01
5–	सहकारी अर्बन बैक	01
6–	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां	28
7–	श्रम व निर्माण सहकारी समितियां	483
8–	सहकारी गृह निमार्ण समितियां	100
9–	सहकारी उधार एंव बचत समितियां	172
10–	सहकारी परिवहन समितियां	49
11–	सहकारी उधोगिक समितियां	93
12–	अन्य सहकारी समितियां जैसे प्राथमिक उपभोकता भण्डार, मछली पालन, फल एंव सब्जियां उत्पादन आदि	26

ये समितियां हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, नियम व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा द्वारा अनुमोदित उप नियमों के अर्न्तगत कार्य करती है।

सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां
हिसार।